

मुकदमों का विवरण

अभिषेक

वी.

मध्य प्रदेश राज्य (2015 की आपराधिक अपील संख्या 1457) 31 अगस्त, 2023

[अनिरुद्ध बोस, संजय कुमार और एस. वी. एन. भाटी, जे. जे.]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:सवाल अपीलार्थीगण, सास और दो बहनोई के खिलाफ मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित प्राथमिकी और आपराधिक मामले को रद्द करने से संबंधित है।498 ए भारतीय दण्ड संहिता सी. और एस. एस.3 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4।

दंड संहिता **1860** -धारा **498** क-दहेज निषेध अधिनियम **1961**-एस.3 और **4**-दहेज के लिए उत्पीड़न-पति और पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद के बीच, पत्नी-बहू द्वारा अपनी सास और बहनोई के खिलाफ शिकायत कि उन्होंने दहेज के लिए उसे मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार बनाया-आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना:

आयोजित किया गया:कुछ स्पष्ट विसंगतियाँ और विसंगतियाँ थीं-पत्नी ने अपने वैवाहिक घर को छोड़ने के बाद चार साल तक दहेज उत्पीड़न के संबंध में अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत करने का विकल्प नहीं चुना जब तक कि पति ने तलाक की कार्यवाही शुरू नहीं की-उसके आरोप ज्यादातर सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति के हैं, बिना किसी विशिष्ट विवरण के कि कैसे और कब उसके ससुराल वालों ने, जो अलग-अलग शहरों में रहते थे, उसे दहेज के लिए उत्पीड़न किया-शिकायत से पता चलता है कि उसके इरादे स्पष्ट नहीं थे और वह स्पष्ट रूप से अपने ससुराल वालों के खिलाफ बदला लेना चाहती थी-आरोप पूरी तरह से असंवेदनशील हैं और, प्रथम दृष्टया, और एक मामला नहीं बनाते हैं-वे इतने दूरगामी और असंभव हैं कि कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति नहीं है।

507 508

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

अन्याय-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक निश्चित मामला है।482 एफ. आई. आर. और परिणामी कार्यवाही को रद्द करने के लिए-

एफ. आई. आर. और ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द कर दिया जाता है-
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -एस. 482.[पारस 18-23]

दंड प्रक्रिया संहिता, **1973** -धारा **482**-एफ. आई. आर. को रद्द करना-जब आरोप पत्र पुलिस के नेतृत्व में दायर किया गया था, जबकि याचिका में यू/एस का नेतृत्व किया गया था।**482** लंबित था-उच्च न्यायालय की शक्ति:

आयोजित किया गया:उच्च न्यायालय के पास यू/एस के नेतृत्व में एक याचिका पर विचार करने और कार्रवाई करने की शक्ति बनी रहेगी।**482** एफ. आई. आर. को तब भी रद्द करना जब ऐसी याचिका के लंबित रहने के दौरान पुलिस के नेतृत्व में आरोप पत्र दायर किया जाता है।[पैरा 11]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

जोसेफ साल्वराज ए. बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2011) 7 एससीसी 59:[2011] 8 एस. सी. आर. 815; आनंद कुमार मोहता और एक अन्य बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), गृह विभाग और एक अन्य (2019) 11 एस. सी. सी. 706:[2018] 13 एस. सी. आर. 1028; वी. रवि कुमार बनाम राज्य का प्रतिनिधित्व पुलिस निरीक्षक, जिला अपराध शाखा, सलेम, तमिलनाडु और अन्य (2019) 14 एस. सी. सी. 568:[2018] 14 एस. सी. आर. 828; मेसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम की स्थिति महाराष्ट्र और 2021 की अन्य आपराधिक अपील No.330 ने 13.04.2021; आर. पी. पर निर्णय लिया। कपूर बनाम पंजाब राज्य ए. आई. आर 1960 एस. सी 866:[1960] एससीआर

388; हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और अन्य (1992) पूरक

(1) एससीसी 335:[1990] 3 पूरक।एससीआर 259; कहकशान कौसर उर्फ सोनम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2022) 6 एस. सी. सी. 599; प्रीति गुप्ता और एक अन्य बनाम झारखंड राज्य और दूसरा (2010) 7 एस. सी. सी. 667:[2010] 9 एस. सी. आर. 1168; नीलू चोपड़ा और एक अन्य बनाम भारती (2009) 10 एस. सी. सी. 184:[2009] 14 एससीआर 1074; महमूद अली और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। और अन्य

2023 की आपराधिक अपील संख्या 2341,08.08.2023 पर निर्णय लिया गया-संदर्भित। अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2015 की आपराधिक अपील संख्या 1457।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2014 के एम. सी. आर. सी. संख्या 2647 में इंदौर की पीठ के दिनांकित 03.03.2015 के निर्णय और आदेश से।

अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य 510

के साथ

2015 की आपराधिक अपील संख्या 1456।

रूप:

सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एड., अनमोल खेटा, दुष्यंत दहिया, कुमार कश्यप, कौसर हुसैन, दिनेश चंद्र पांडे, एड.अपीलार्थी के लिए। अभिनव श्रीवास्तव, सनी चौधरी, डॉ. सस्मित पात्रा, आर. पी. सिंह, शिवांग रावत, पशुपति नाथ राजदान, सुश्री निधि, मोहित गिरधर, सार्थक अरोड़ा, अधिवक्ता। प्रत्यर्थी के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

संजय कुमार, जे।

1. 2015 की आपराधिक अपील संख्या 1456 में दूसरी प्रत्यर्थी भावना ने वर्ष 2007 में निमिश गौर से शादी की। हालाँकि, उन्होंने उनकी शादी को भंग करने के लिए 05.09.2019 पर तलाक का फरमान प्राप्त किया। भावना ने उक्त तलाक की डिक्री के खिलाफ 2019 की पहली अपील संख्या 1876 को प्राथमिकता दी और इसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन बताया गया है। वर्तमान अपीलों में अपीलार्थीगण भावना के ससुराल वाले थे। कुसुम लता उनकी सास थीं जबकि अभिषेक और सौरभ उनके बहनोई थे।
2. भावना ने 02.07.2007 पर निमिश से शादी की। उनकी शादी अरेंज्ड थी और इंदौर, मध्य प्रदेश में हुई थी। भावना पेशे से शिक्षिका थीं। निमिश मुंबई में एफ. आई. एल. एम. उद्योग में काम कर रहे थे और एफ. आई. एल. एम. संपादन में लगे हुए थे। अपनी शादी के बाद, दंपति 08.07.2007 पर मुंबई के लिए रवाना हो गए। कहा जाता है कि भावना 2008 में दीपावली उत्सव सहित केवल 3 या 4 मौकों पर मध्य प्रदेश में अपने ससुराल गई थी। मान लीजिए, भावना मुंबई में अपने वैवाहिक घर से अलग हो गई, चाहे वह अपनी मर्जी से हो या अन्यथा, और नरसिंहपुर में अपने माता-पिता के साथ रहने लगी। उस समय, कुसुम लता ने इंदौर के पुलिस स्टेशन हीरा नगर में 24.02.2009 दिनांकित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें आशंका जताई गई थी कि भावना उनके खिलाफ दहेज के लिए उसे परेशान करने का आरोप लगा सकती है।
3. निमिश द्वारा 08.05.2013 पर तलाक की याचिका के अंतिम चरण से पहले, भावना ने 05.02.2013 पर पुलिस स्टेशन कोटवाली में एक लिखित शिकायत की,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिला नरसिंहपुर, अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ कई आरोप लगा रही है। उसी को हीरा नगर, इंदौर के अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में भेजा गया था। परिणामस्वरूप, 2013 की एफ. आई. आर. संख्या 56 दिनांक 09.02.2013 पी. एस. हीरा नगर, इंदौर के एफ. आई. एल. पर उन चारों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज की गई थी। तीनों अपीलार्थीगण ने 2013 के जमानत आवेदन संख्या 634 के माध्यम से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इंदौर से दिनांकित प्राथमिकी संख्या 56 के संबंध में अग्रिम जमानत प्राप्त की।

4. इसके बाद अपीलार्थीगण ने 2013 की धारा 482 Cr.P.C. कुसुम लता और सौरभ फाई के नेतृत्व में M.Cr.C. संख्या 6585 के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख किया, जबकि M.Cr.C. 2014 की संख्या 2647 अभिषेक के नेतृत्व में दर्ज की गई थी, जिसमें 2013 की संख्या 56 दिनांकित 09.02.2013 को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। इन मामलों के लंबित रहने के दौरान, पुलिस ने अपनी अनुसंधान पूरी की और चारों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। यह बात 2014 के आपराधिक मामला संख्या 11954 में इंदौर के प्रथम श्रेणी के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई थी। इसके बाद, कुसुम लता और सौरभ फाई ने 2013 के M.Cr.C. संख्या 6585 में 13.08.2014 पर एक आवेदन का नेतृत्व किया, जिसमें 2014 के आपराधिक मामले संख्या 11954 में आरोप पत्र और कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। हालाँकि, 03.03.2015 दिनांकित अलग-अलग आदेशों द्वारा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दोनों रद्द याचिकाओं को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर, अपीलार्थीगण विशेष अनुमति द्वारा इन अपीलों के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष हैं।

5. दोनों अपीलों में पारित दिनांक 30.10.2015 के सामान्य आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने अपीलार्थीगण के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

6. जिला नरसिंहपुर के पी. एस. कोटवाली को दी गई अपनी लिखित शिकायत में, भावना ने इंदौर में 02.07.2007 पर निमिश के साथ अपनी शादी के बारे में बात की और कहा कि उसके माता-पिता ने ₹ 3,50,000-नकद, एक सोने का हार, कान का सेट, चांदी की पायल, बिचुआ (पैर की अंगूठियां), महंगी साड़ियां और कपड़े दिए थे। उसने आगे कहा कि उसके रिश्तेदारों ने उसे अलग से एक सोने की चेन, नाथ, बिंदी आदि, कई आभूषण और अन्य उपहार दिए थे। उसने आरोप लगाया कि उसकी सास और बहनोई अभिषेक ने सभी उपहारों की एक सूची तैयार की और यह कहते हुए उसे ले लिया: 'भाबी, हम उन्हें बैंक लॉकर में रख देंगे क्योंकि आपके पास मुंबई में घर नहीं है और आप उन्हें नहीं रख पाएंगे। उसने कहा कि वह अपने पति के साथ 08.07.2007 पर मुंबई गई थी। उन्होंने कई आरोप लगाए कि कैसे मुंबई में उनके पति द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उन आरोपों की वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि हम 511 से संबंधित नहीं हैं।

निमिश।भावना ने आगे कहा कि उसके पति और सास ने दहेज के मुद्दे पर उससे और उसके माता-पिता से शिकायत की थी और उन्होंने मामूली मुद्दों पर भी उसे मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया और उसके माता-पिता, भाइयों और बहन के लिए गलत और असहनीय शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि एक दिन उन्होंने अपने बालों में मेहंदी लगाते समय मैक्सी पहनी हुई थी और यह देखकर उनकी सास ने कहा-भावना ने मैक्सी पहनी हुई है इसलिए उन्हें कपड़े उतारने चाहिए और सड़क पर नाचने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। उसने आरोप लगाया कि उसकी सास शादी के समय दहेज में सोने की चेन, झुमके, अंगूठी और अन्य सोने के आभूषणों की मांग करती थी। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी अपनी शादी के समय, उसके बहनोई अभिषेक ने उससे और उसके माता-पिता से एक कार और अतिरिक्त दो लाख रुपये की मांग की थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे और वे एक कार और ₹ 2,00,000 नहीं दे सकते थे-और उनके ससुराल वालों ने कहा कि अगर आप पैसे नहीं ला सकते हैं तो अपने माता-पिता के घर में रहें। उन्होंने आगे कहा कि इंदौर में उनकी सास का घर एक भुगतान करने वाले अतिथि आवास की तरह था, जहाँ एक या दूसरे छात्र हमेशा रहते थे, और उनके रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने आरोप लगाया कि वे उसके साथ एक भुगतान करने वाले अतिथि की तरह व्यवहार करते थे और दहेज की अपनी मांगों से उसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से परेशान करते थे। इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें मुंबई में अपने पति की डायरी मिली जिसमें उन्होंने कई अन्य महिलाओं के साथ उनके शारीरिक संबंधों का विवरण दिया था और जब उन्होंने 2008 में दीपावली के समय अपनी सास और जीजा को यह बताया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह की बातें कहकर त्योहार खराब कर दिया था और उन्हें कभी भी दीपावली के दिन नहीं आना चाहिए। उसने कहा कि उसे उसके पति ने 25.02.2009 पर घर से बाहर फेंक दिया था। उसने आगे कहा कि उसके कई अनुरोधों पर, निमिश 17.06.2012 पर उसके भाई की शादी में आया, लेकिन फिर से उससे पैसे की व्यवस्था के बारे में पूछा। पैसे की व्यवस्था करने में उनकी असमर्थता के बारे में बताए जाने पर, उसने उसके रिश्तेदारों से कहा कि वे या तो पैसे की मांग को पूरा करें या उसे उससे मुक्त करा दें। उसने कहा कि इन मुद्दों के कारण उसके पिता, माँ और भाई को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो गईं और उसने अनुरोध किया कि दहेज के लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने और उसके साथ न्याय करने के लिए निमिश, कुसुम लता, सौरभ और अभिषेक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।

7. भावना ने पी. एस. हीरा नगर के समक्ष दिए गए अपने बयान में कहा कि निमिश के साथ उसकी शादी इंदौर के नंदन गार्डन में आई. डी. 1 पर हुई थी और उसके माता-पिता ने अपनी स्थिति से अधिक सोने और चांदी के आभूषण, कपड़े, नकद आदि दिए थे और शादी के लिए लगभग 5 लाख रुपये खर्च किए थे। उन्होंने कहा कि उनके पति और वह मुंबई गए थे।

[2023] 11 एस सी आर।

07.07.2007. उसने अपने पति के खिलाफ कई आरोप लगाए जो वर्तमान में कोई महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि वह हमारे सामने नहीं है। जहां तक उसके ससुराल वालों का संबंध है, उसने कहा कि उसकी सास, कुसुम लता, और बहनोई, अभिषेक और सौरभ, उसके माता-पिता से दहेज में 2 लाख रुपये नकद, एक कार और गहने लाने के लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करते थे और इस वजह से उसके माता-पिता बीमार हो गए और उनका इलाज किया जा रहा था। उसने आरोप लगाया कि उसके सभी ससुराल वाले उससे जबरन तलाक चाहते थे और जब वह अपने वैवाहिक घर से दूर आई तो कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिषेक, जो एक न्यायाधीश थे, अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग कर रहे थे और वह कानूनी कार्यवाही में बाधाओं का कारण थे।

8. भावना के पिता ओम प्रकाश ने भी इसी तर्ज पर 08.09.2013 पर पुलिस के सामने बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी शादी इंदौर में आई. डी. 1 पर हुई थी और उनके स्टेटस के अनुसार, उन्होंने दहेज में नकद, सोना, आभूषण, कपड़े आदि, कुल 5 लाख रुपये दिए थे। उसने कहा कि जब भी भावना उनसे मिलने आती थी, तो वह उसे और सभी पड़ोसियों को बताती थी कि उसके पति, निमिश, सास, कुसुम लता और बहनोई, अभिषेक और सौरभ उसे बताते थे कि उसके पिता ने दहेज में कुछ नहीं दिया है और जब वह अपने माता-पिता के घर जाती है, तो उसे 2 लाख रुपये नकद, एक कार और सोने के गहने लाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वे दहेज के लिए उनकी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि करवाचौथ के दिन भावना की सास ने 100 साड़ियों की मांग की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। भावना की माँ रेनुबाला ने भी इसी तर्ज पर 08.09.2013 पर एक बयान दिया। उनके दो पड़ोसियों, सुशीला बाई और मोहन ने भी उसी दिन भावना के कथन का समर्थन करते हुए बयान दिए। उनके अनुसार, जब भी भावना अपने माता-पिता से मिलने आती थी, तो वह उन्हें बताती थी कि उसके ससुराल वाले दहेज के लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। दूसरी ओर, जिस पड़ोस में निमिश के पिता का निवास था, वहां रहने वाले शैलेंद्र और राधे श्याम ने निर्वाचन आयोग को बताया कि भावना या उसके परिवार से दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी और उस आधार पर उसे कभी परेशान नहीं किया गया था। आई. डी. 1 की अपनी अंतिम रिपोर्ट में, पुलिस ने केवल एफ. आई. आर. की सामग्री को दोहराया और अपनी अनुसंधान के आधार पर आगे कुछ नहीं जोड़ा।

9. कुछ अन्य तथ्य भी प्रासंगिक हैं और उन पर ध्यान दिया जा सकता है। अभिषेक ने निमिश के साथ भावना की शादी के छह या सात महीने बाद सिविल जज के रूप में न्यायिक सेवा में प्रवेश किया। उन्हें उज्जैन और उसके बाद मध्य प्रदेश के नीमच में तैनात किया गया था। कुसुम लता 513 के साथ रहती थीं।

अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य [संजय कुमार, जे.] 514 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

अभिषेक।भावना के दूसरे बहनोई सौरभ एक वास्तुकार हैं और वर्ष 2007 से दिल्ली में काम कर रहे थे।निमिश ने नरसिंहपुर में पुलिस अधिकारियों को 09.09.2012 और 17.11.2012 पर भावना द्वारा और उसके कहने पर धमकी देने की शिकायत करते हुए लिखित अभ्यावेदन दिया।इससे पहले, अभिषेक के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक गुमनाम शिकायत की गई थी, जिसमें इस आशय के निंदनीय आरोप लगाए गए थे कि वह न्यायिक पद के योग्य नहीं थे।कथित तौर पर संयोगिता मिश्रा के नाम पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुंबई में भी शिकायत की गई थी।एक बार फिर अभिषेक के खिलाफ आरोप लगाए गए।10. विशेष रूप से, परिवार न्यायालय, नरसिंहपुर के आदेश पर 2015 के दीवानी मुकदमा संख्या 153 ए में निमिश की तलाक याचिका में 27.10.2018 पर भावना की मुख्य परीक्षा उपलब्ध कराई गई है।उसमें, उसने जोर देकर कहा कि उसके पूरे स्त्रीधन के गहने निमिश के पास थे और बार-बार मांग करने के बावजूद, वह उसे वापस नहीं कर रहा था क्योंकि वह उसके गहने छीनना चाहता था।इसके अलावा, अपनी जिरह के दौरान, उसने स्वीकार किया कि उसने अभिषेक के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में शिकायत की थी।हालाँकि उन्होंने मुंबई में भ्रष्टाचार रोधी इकाई में ऐसी कोई शिकायत करने से इनकार किया।11. यह तथ्यात्मक पृष्ठभूमि होने के कारण, हम शुरू में ही इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि यह तर्क कि प्राथमिकी के खिलाफ अपीलकर्ताओं की रद्द याचिका किसी भी स्थिति में खारिज होने योग्य थी, क्योंकि इसके संबंध में आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और इसे वास्तविक आधार पर लिया गया था, केवल अस्वीकार किए जाने के लिए उल्लेख की आवश्यकता है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि उच्च न्यायालय के पास धारा 482 Cr.P.C के तहत एक याचिका पर विचार करने और कार्रवाई करने की शक्ति बनी रहेगी।

इस तरह की याचिका की विचाराधीनता [जोसेफ साल्वराज ए बनाम जोसेफ साल्वराज ए। गुजरात राज्य और

अन्य **{(2011) 7 SCC 59}**]।आनंद कुमार में इस सिद्धांत को दोहराया गया था।

मोहट्टा और एक अन्य बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली), गृह विभाग

और एक और **[(2019) 11 एस. सी. सी. 706]**।इसलिए, इस मुद्दे को हमारी ओर से और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

12. धारा 482 Cr.P.C के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति की रूपरेखा अच्छी तरह से अवहेलना है।वी. रवि कुमार बनाम राज्य ने प्रतिनिधित्व किया

पुलिस निरीक्षक, जिला अपराध शाखा, सलेम, तमिलनाडु और

अन्य [(2019) 14 एस. सी. सी. 568], इस न्यायालय ने कहा कि जहां कोई अभियुक्त उच्च न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का आह्वान करते हुए एफ. आई. आर. को रद्द करने की मांग करता है, वहां उच्च न्यायालय के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों की शुद्धता का निर्णय करने के लिए तथ्यात्मक क्षेत्र में प्रवेश करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। एम/एस में।

नीहरिका इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य [2021 की आपराधिक अपील No.330,13.04.2021 पर निर्णय लिया गया], एक 3-न्यायाधीश पीठ

इस न्यायालय ने धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति के दायरे और विस्तार पर विस्तार से विचार किया। यह देखा गया कि रद्द करने की शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और दुर्लभतम मामलों में ऐसे मानक को मृत्युदंड के संदर्भ में तैयार किए गए मानदंड के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि एफ. आई. आर./शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की गई है, न्यायालय उसमें लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू नहीं कर सकता है, लेकिन यदि न्यायालय यह सोचता है कि यह रद्द करने के मापदंडों और कानून द्वारा लगाए गए आत्म-संयम और विशेष रूप से, आर. पी. कपूर बनाम आर. पी. कपूर मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के संबंध में है। पंजाब राज्य

(ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 866) और हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल और

अन्य [(1992) पूरक (1) एस. सी. सी. 335], न्यायालय के पास एफ. आई. आर./शिकायत को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र होगा।

13. पति के परिवार के सदस्यों द्वारा वैवाहिक विवादों के बीच उनकी पत्नी द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका के उदाहरण न तो दुर्लभ हैं और न ही हाल ही में उत्पन्न हुए हैं। इस अंक पर बहुत सारी पूर्वसूचनाएँ हैं। अब हम कुछ निर्णयों पर ध्यान दे सकते हैं -

विशेष प्रासंगिकता। हाल ही में, कहकशान कौसर उर्फ सोनम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य [(2022) 6 एस. सी. सी. 599] मामले में, इस अदालत ने

इसी तरह की स्थिति से निपटने का अवसर जब उच्च न्यायालय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए सहित विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। यह देखते हुए कि सबसे प्रमुख मुद्दा जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता थी कि क्या ससुराल वालों के खिलाफ लगाए गए आरोप सामान्य सर्वव्यापी आरोप थे जिन्हें रद्द किया जा सकता है, इस अदालत ने पहले के फैसलों का उल्लेख किया जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए के दुरुपयोग और पति के रिश्तेदारों को वैवाहिक विवादों में फंसाने

की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की गई थी। इस न्यायालय ने कहा कि वैवाहिक विवादों के दौरान लगाए गए सामान्य सर्वव्यापी आरोपों के माध्यम से गलत निहितार्थ, यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उस मामले के तथ्यों पर, यह पाया गया कि पत्नी द्वारा ससुराल वालों के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए थे और यह माना गया था कि ससुराल वालों के खिलाफ स्पष्ट आरोपों के अभाव में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने से कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। यह भी नोट किया गया कि एक आपराधिक मुकदमा, जिसके परिणामस्वरूप अंततः बरी हो जाता है, अभियुक्त पर गंभीर निशान लगा देगा और इस तरह की कवायद को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

515

अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य [संजय कुमार, जे.] 516

14. प्रीति गुप्ता और एक अन्य बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य

[(2010) 7 एस. सी. सी. 667], इस न्यायालय ने नोट किया कि पति और उसके सभी निकट संबंधों को फंसाने की प्रवृत्ति भी भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498 ए के तहत की गई शिकायतों में असामान्य नहीं है। यह देखा गया कि अदालतों को इन शिकायतों से निपटने में बेहद सावधान और सतर्क रहना होगा और वैवाहिक मामलों से निपटने के दौरान व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पति के करीबी रिश्तेदारों द्वारा उत्पीड़न के आरोप, जो अलग-अलग शहरों में रह रहे थे और कभी भी उस स्थान पर नहीं गए या शायद ही कभी गए जहां वादी रहता था, एक पूरी तरह से अलग रंग जोड़ देगा और ऐसे आरोपों की बहुत सावधानी और सावधानी के साथ जांच करनी होगी।

15. इससे पहले, नीलू चोपड़ा और एक अन्य बनाम भारती [(2009) 10 एस. सी. सी.

184], इस न्यायालय ने कहा कि शिकायत दर्ज करने के लिए केवल वैधानिक प्रावधानों और उनकी भाषा का उल्लेख करना मामले का 'सब कुछ हो और सब कुछ समाप्त हो' नहीं है, क्योंकि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध और उस अपराध को करने में प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका का विवरण न्यायालय के ध्यान में लाया जाना आवश्यक है। ये टिप्पणियां भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 498 ए से जुड़े वैवाहिक विवाद के संदर्भ में की गई थीं।

16. महमूद अली मामले में इस अदालत का फैसला हाल ही में आया है।

और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **(2023)** की आपराधिक अपील संख्या **2341,**

लागू कानूनी सिद्धांतों पर धारा 482 <आई. डी.

2.....। यह भी

कहा गया कि न्यायालय के लिए यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि क्या कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक सामग्री का खुलासा किया गया है या नहीं, केवल एफ. आई. आर./शिकायत में किए गए कथनों पर गौर करना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाही में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह कथनों के अलावा मामले के रिकॉर्ड से उत्पन्न होने वाली कई अन्य उपस्थित परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और सावधानी के साथ, पंक्तियों के बीच पढ़ने का प्रयास करे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

17. भजन लाल (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने चित्रण के माध्यम से, उन मामलों की व्यापक श्रेणियों को निर्धारित किया था जिनमें धारा 482 Cr.P.C के तहत अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। निर्णय का पैरा 102 इस प्रकार है: '102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से अवज्ञाकारी और स्पष्ट रूप से पर्याप्त दिशा-निर्देश या कठोर सूत्रों को निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है, जिसमें ऐसी शक्ति होनी चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया किसी भी अपराध का गठन नहीं करते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुसंधान को उचित ठहराते हैं। (3) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी अनुसंधान की अनुमति नहीं दी जाती है जैसा कि संहिता की धारा

155 (2) के तहत विचार किया गया है।(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर सं. 517

अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य [संजय कुमार, जे.] 518

विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी एक उचित निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहाँ संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहाँ संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट सी प्रावधान है, पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी प्रतिबंध है।

(7) जहाँ किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से पेश किया जाता है और/या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसका विरोध करने की दृष्टि से शुरू की जाती है।'18. हाथ में मामले के लिए जंगलों के आदेशों को लागू करते हुए, हम कुछ स्पष्ट विसंगतियों और विसंगतियों पर ध्यान दे सकते हैं। हालांकि भावना ने पहले आरोप लगाया था कि उसकी सास, कुसुम लता और उसके बहनोई, अभिषेक ने उसकी शादी के बाद उसके सभी गहने सुरक्षित रखने के बहाने ले लिए थे, लेकिन उसने 2015 के दीवानी मुकदमा संख्या 153 ए में परिवार अदालत, नरसिंहपुर के समक्ष अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि उसके पूरे स्त्रीधन के गहने निमिश के पास थे और बार-बार मांग करने के बावजूद, वह उसे वापस नहीं कर रहा था। इसके अलावा, अपनी जिरह के दौरान, उसने स्वीकार किया कि उसने अभिषेक के खिलाफ उच्च न्यायालय में शिकायत की थी। शिकायत को एक अनाम के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन भावना ने स्वेच्छा से इसके लेखक होने का दावा किया। यह पहलू अपने ससुराल वालों और विशेष रूप से अभिषेक के खिलाफ उसकी दुश्मनी को दर्शाता है।

19. वर्तमान में ध्यान देने योग्य सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भावना ने स्वीकार किया कि फरवरी, 2009 में अपने वैवाहिक घर और अपने ससुराल वालों से अलग हो गई, चाहे वह स्वेच्छा से हो या अन्यथा, लेकिन उसने वर्ष 2013 तक दहेज उत्पीड़न के संबंध में उनके खिलाफ शिकायत करने का विकल्प नहीं चुना। आश्चर्य की बात है कि 09.02.2013 दिनांकित एफ़. आई. आर. संख्या 56 में दर्ज है कि आगजनी की घटना 02.07.2007 से 05.02.2013 तक थी, लेकिन फरवरी, 2009 में अपना वैवाहिक घर छोड़ने के बाद भावना द्वारा अपीलार्थिगण के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया था। विशेष रूप से, भावना ने इंदौर में 02.07.2007 पर निमिश से शादी की और 08.07.2007 पर उसके साथ मुंबई चली गई। उसके बाद अपने ससुराल वालों के साथ उसकी बातचीत केवल त्योहारों के दौरान हुई प्रतीत होती है और कहा जाता है कि यह लगभग 3 या 4 बार थी। एक वास्तुकार सौरभ को तैनात किया गया था

[2023] 11 एस सी आर।

वर्ष 2007 से दिल्ली और भावना द्वारा उनके खिलाफ कभी कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया। वास्तव में, उसने केवल एक सामान्य आरोप लगाया कि उसने दहेज के लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया। उस संबंध में उनके द्वारा कोई विशिष्ट उदाहरण नहीं दिया गया था या यह नहीं बताया गया था कि कैसे उन्होंने दिल्ली से उन्हें इस तरह के उत्पीड़न का शिकार बनाया। इसी तरह, अभिषेक उनकी शादी के 6 या 7 महीने बाद न्यायिक अधिकारी बन गए और ऐसा लगता है कि उन्हें मुंबई में भावना और निमिश के साथ रहने का कोई अवसर नहीं मिला। उसके साथ उसका संपर्क केवल तभी था जब वह त्योहारों के दौरान अपने ससुराल वालों से मिलने आती थी। आश्चर्य की बात है कि भावना का आरोप है कि अपनी शादी के समय अभिषेक ने मांग की थी कि भावना और उसके माता-पिता उसे एक कार और ₹12 नकद में लाखों। वह अपनी शादी के समय अपनी साली से दहेज की ऐसी मांग क्यों करेगा, भले ही वह इस तरह की अवैधता करने के लिए इच्छुक हो, यह समझना असंगत और कठिन पंथ है। इसके अलावा, यह तथ्य कि भावना ने अभिषेक के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक द्वेषपूर्ण शिकायत करने की बात स्वीकार की है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जहां तक उसके बहनोई अभिषेक का संबंध है, उसके इरादे स्पष्ट नहीं थे, और वह स्पष्ट रूप से अपने ससुराल वालों से बदला लेना चाहती थी। भावना द्वारा उसकी सास कुसुम लता के खिलाफ लगाया गया आरोप, कि कैसे उसने मैक्सी पहनने पर उसे ताना मारा, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए के संदर्भ में क्रूरता का गठन करने के लिए पूरी तरह से अनुचित है। 20. हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि भावना ने खुद दावा किया था कि निमिश 2012 में अपने भाई की शादी में आई थी, लेकिन 2009 के बाद उसकी सास और उसके बहनोई द्वारा उसे दहेज के लिए किसी भी तरह के उत्पीड़न के संबंध में उसके पास कोई विवरण नहीं है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उस अवधि के लिए भी, उसके आरोप ज्यादातर सामान्य और सर्वव्यापी प्रकृति के हैं, बिना किसी विशिष्ट विवरण के कि कैसे और कब उसके बहनोई और सास, जो पूरी तरह से अलग-अलग शहरों में रहते थे, ने उसे दहेज के लिए परेशान किया। 21. भावना के मामले के लिए सबसे अधिक नुकसानदेह तथ्य यह है कि उसने फरवरी, 2009 में अपना वैवाहिक घर छोड़ने के बाद कुछ भी नहीं किया और अपने पति द्वारा तलाक की कार्यवाही शुरू करने से ठीक पहले वर्ष 2013 में उसने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई।

22. तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थीगण के खिलाफ भावना के आरोप, जैसे कि वे हैं, पूरी तरह से अनुचित हैं और, प्रथम दृष्टया, उनके खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं। इसके अलावा, वे इतने दूरगामी और असंभव हैं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं।

अभिषेक बनाम मध्य प्रदेश राज्य [संजय कुमार, जे.]

उनके खिलाफ।इफ एक्ट में, हाथ पर मामला भजन लाल (ऊपर) में निर्धारित श्रेणियों (1) और (5) में आता है।ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देने से स्पष्ट और पेटेंट अन्याय होगा।यह उच्च न्यायालय के लिए एफ. आई. आर. और परिणामी कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 Cr.P.C के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने का एक मामला था।

23. तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है।

जहाँ तक अपीलार्थीगण कुसुम लता, अभिषेक गौर और सौरभ गौर का संबंध है, 2013 की एफ. आई. आर. सं. 56 और 2014 का आपराधिक मामला सं. 11954, जो कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, इंदौर के आदेश पर लंबित है, रद्द कर दिया जाएगा।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन